रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1990/वैशाख 13, 1912
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1990/VAISAKHA 13, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 25-ई टी सी (पी एन)/90

नई दिल्ली, 3 मई, 1990

विषय :—गैर-बासमती चावल का निर्यात

फाईल सं० 40(25)/90 ई० II—1. सन्दर्भ—आयात-निर्यात नीति 1990—93 (खंड-2) के भाग ख की सूची-2 क्रम सं० 4(1)।

2. उद्देश्य—गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति उक्त पुस्तक के भाग 1 के पैराग्राफ 31—33 में निहित प्रक्रिया के अनुसार सीमित सीलिंग में दी जाती है। इस अधिसूचना का उद्देश्य उक्त नीति पुस्तक के भाग-1 के पैरा 13(3) की शर्तानुसार चालू वर्ष के लिए रिलीज की गई सीमित सीलिंग के अनुसार गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु निम्नोक्त विशेष प्रक्रिया निर्धारित करना है।

3. (क) विशेष प्रक्रिया—गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु सीलिंग को कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली द्वारा निपटान पर छोड़ा गया है।

3. (ख) संविदाओं के पंजीकरण हेतु—(1) निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 100% अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी संविदाएं ए पी ई डी ए के पास पंजीकृत कराएं।

(2) न्यूनतम निर्यात कीमत रु० 6000 प्रति मी.ट. (जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत) वसूल की जाएगी।

(3) ए.पी.ई.डी.ए. यू.एल.एल.आर. को छोड़कर सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को निर्यात हेतु किसी भी वैयक्तिक निर्यातक को कुल उपलब्ध सीलिंग के 10% से अधिक की अनुमति नहीं देगा।

(4) ए.पी.ई.डी.ए. इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 15 दिन के उपरान्त सीलिंग का आवंटन करेगा।

(5) उक्त शर्तों की पूर्ति करने पर ए.पी.ई.डी.ए. निर्यातकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सीलिंग स्लिप जारी करेगा, जिसमें पूर्ण विवरण जैसे निर्यातक का नाम, निर्यात आदेश संविदा और अपरिवर्तनीय साख-पत्र की संख्या और तारीख, अनुमेय मात्रा, जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य और गन्तव्य स्थान को दर्शाया जाएगा।

3. (ग) लाईसेंस जारी करना—ए पी ई डी ए संबंधित पत्तन लाईसेंसिंग प्राधिकारी को सीलिंग संबंधी सूचना भेजेगा जो ए पी ई डी ए से उसके प्राप्त हो जाने पर निर्यात लाईसेंस जारी करने की सिफारिश में अथवा लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च से इनमें जो भी पहले हो, से 3 मास की वैधता के साथ 48 घंटे के भीतर निर्यात लाईसेंस जारी करेगा।

3. (घ) पंजीकरण के लिए अन्तिम तारीख—लाईसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च के बाद न तो किसी संविदा का पंजीकरण ही किया जाएगा और न ही ए पी ई डी ए द्वारा 31 मार्च 1991 के बाद किसी निर्यात की अनुमति दी जाएगी, चाहे सीलिंग की मात्रा अप्रयुक्त भी रह जाए।

4. दण्डात्मक कार्रवाई—निर्यातकों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे उन्हें आवंटित की गई सीलिंग की मात्रा का पूर्ण रूप से निर्यात करें। तथापि यदि कोई निर्यातक आवंटित की गई पूर्ण मात्रा का निर्यात करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी उस निर्यातक पर उस वस्तु के लिए और आगे निर्यात लाईसेंस प्राप्त करने हेतु रोक लगाने की कार्रवाई करेगा। ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व लाईसेंसिंग प्राधिकारी निर्यातक को सुनवाई के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार की रोक के खिलाफ अपीलें निर्यात लाईसेंसिंग समिति को भेजी सकती हैं।

5. मोनिटरिंग—(1) निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना—निर्यातकों को ए पी ई डी ए को और संबंधित पोत लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्यात के ब्यौरों से संबंधित एक रिपोर्ट पोतलदान की तिथि से 15 दिनों के भीतर अथवा निर्यात लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर यह समझा जाएगा कि उनका निर्यात शून्य है और उनके खिलाफ निर्यात नीति 1990—93 के खण्ड-1 के पैरा 33 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. (2) ए पी ई डी ए द्वारा—जैसे ही सीलिंग समाप्त हो जाए, ए पी ई डी ए वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात संवर्धन (कृषि-2) अनुभाग को सूचित करेगा।

5. (3) ए पी ई डी ए द्वारा वाणिज्य मंत्रालय निर्यात संवर्धन (कृषि-2) अनुभाग को एक मासिक विवरण भेजेगा जिसमें निर्यातक का नाम, अनुमति मात्रा, जहाज-पर्यन्त निशुल्क मूल्य और स्थान का नाम जैसे पूर्ण ब्यौरे दिए जाएंगे और इसकी एक प्रति इस कार्यालय के सांख्यिकी निदेशक (श्री राम मूर्ति) को भेजी जाएगी।

6. यह सार्वजनिक सूचना लोकहित में जारी की जाती है।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 25-ETC (PN)/90

New Delhi, the 3rd May, 1990

Subject :—Export of Non-basmati Rice.

File No. 40(25)/90-EII 1. Reference.—Serical Number 4(I), List 2 of Part 'B' of Import and Export Policy 1990—93, (Vol. II).

2. Purpose.—Export of Non-basmati Rice is allowed within a limited ceiling as per the procedure laid down in paragraphs 31-33 of Section I of the said Book. The purpose of this Notification is to lay down the following special procedure for the export of Non-basmati Rice as per the ceiling limits released for the current year, in terms of Para 13(3) of Section I of the said Policy Book.

3. (a) Special Pocedure.—The ceiling or export of Non-basmati Rice is placed at the disposal of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi (APEDA).

(b) Agency for Registration of Contracts.—(i) The exporters are required to register their contracts backed by 100% Irrevocable Letters of Credit with APEDA.

(ii) MEP of Rs. 6,000 per M.T. (f.o.b,) be realized.

(iii) APEDA will not allocate more than 10% of the total available ceiling to any individual exporter for export to all permissible destinations except to USSR.

(iv) APEDA will allocate the ceiling after 15 days from the date of issue of this Public Notice.

(v) On fulfilment of said conditions, APEDA will issue ceiling slips to the exporters, on first-come, first-served basis, indicating full particulars such as the name of the exporters, number and date of Export Order/Contract and Irrevocable Letter of Credit, quantity allowed, f.o.b. value and the destination.

(c) Issue of Licences.—APEDA shall send the ceiling advice to the concerned Port Licensing Authority, who on receipt of the same from APEDA, shall issue export licence with validity of three months from the date of issue or 31st March of licensing year, whichever is earlier within 48 hours.

(d) Last Date for Registration.—Neither registration of contracts will be made after 31st March of the licensing year nor any export will be allowed by APEDA after 31st March 1991, even if the quantity of the ceiling remain unutilised.

4. Penal Action.—It should be the endeavour of the exporters to export the quantity of ceiling allotted to them, in full. However, if any exporter fails to export the full quantity allocated, then the licensing authorities will take action to debar him from receiving further export licences for the same commodity. Before taking such action, the licensing authority will provide an opportunity to the exporter to be heard. Appeals against such debarments can be made to the Export Licensing Committee.

5. Monitoring (i).—Furnishing of Report by Exporters.—Exporters are requied to furnish a report regarding details of exports to APEDA and the concerned Port Licensing Authority within 15 days from the date of shipment or within 15 days from the date of expiry of export licence. Failure to do so, it will be considered that their export is Nil and action will be taken in terms of Para 33 of Section 1 of Export Policy1990—93.

(ii) By APEDA.—As soon as the ceiling exhausted, APEDA will report to the Ministry of Commerce EP (AGRI. II) Section.

(iii) A monthly statement indicating the full details, such as name of the exporter, the quantity allowed, f.o.b. value and destination will be furnished by APEDA to the Ministry of Commerce, EP (AGRI. II) Section with a copy to the Director of Statistics (Shri Ram Murti) of this Office.

6. This Public Notice has been issued in Public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports and Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990